बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषि निदेशालय, बिहार
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग)

ई–मेल : rkvy.bihar@gmail.com वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष/फैक्स सं० : 0612-2204388

पत्र सं०–रा०कृ०वि०यो०को०–532/2014 5584 /कृ०, पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, कृषि
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी (सभी)।
जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)।

विषय :– **राज्य योजना अन्तर्गत अन्न भंडारण योजना के तहत भंडारण हेतु धातु कोठीला का वितरण के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अन्न भंडारण योजना के तहत भंडारण हेतु अनुदानित दर पर धातु कोठीला वितरण की स्वीकृति प्राप्त है। अन्न भंडारण की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बर्बाद हो रहे अनाज के नुकसान को रोकने के लिए इस योजना अन्तर्गत सीमांत/लघु किसानों को छोटे स्तर पर भंडारण की सुविधा देने के लिए अनुदान पर धातु कोठीला के वितरण की योजना ली गयी है। अनुदान पर धातु कोठी वितरण कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि धातु कोठी वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप कार्य करेगें।

कार्यान्वयन अनुदेश पर माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु० :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(धर्मेन्द्र सिंह) 10/12
निदेशक, कृषि
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5584 /कृ०, पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य) सभी प्रमंडल/जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, कृषि 10/12
बिहार, पटना।

राज्य योजना
अन्न भण्डारण योजना
भंडारण हेतु धातु कोठिला
कार्यान्वयन अनुदेश
वर्ष 2014–15

किसानों के स्तर पर सुरक्षित अनाज भंडारण की आवश्यकता है। उपर्युक्त भंडारण के अभाव में अनाज की क्षति होती है। *कीट तथा चूहे गोदाम में क्षति के मुख्य कारक है। इस जैव कारकों से तथा आर्दता जैसे कारणों से होने वाले क्षति को आधुनिक तकनीक अपनाकर कम किया जा सकता है। कृषि रोड मेप में किसान के स्तर पर भंडारण को बढावा देने के लिए कार्यक्रम शामिल है। सीमान्त/लघु किसानों को छोटे स्तर पर भंडारण की सुविधा देने के लिए अन्न भण्डारण योजना के तहत अनुदान पर धातु कोठिला के वितरण की योजना ली गई है। इस योजना अन्तर्गत धातु कोठी के लिये किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना के द्वारा 5 क्वीं० क्षमता के धातु कोठिला का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसकी प्राक्कलित राशि 2029.00 रूपये है। प्राक्कलन की प्रति अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है। 5 क्वीं क्षमता के धातु कोठिला के लिये सामान्य किसानों को देय मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 812.00 रू० प्रति इकाई एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति श्रेणी के किसानों को देय मूल्य का 56 प्रतिशत अधिकतम 1136.00 रू० अनुदान अनुमान्य* किया जायेगा। घातु कोठिला उपलब्ध रहने पर सीमान्त/लघु किसान अनाज का भण्डारण कर असामयिक क्षति से बचायेंगे साथ ही सालों भर बाजार मूल्य का लाभ ले सकेंगे। योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 संलग्न है। संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप ही इसे जनसंख्या के आधार पर पूर्व की तरह प्रखंडवार विखंडित करते हुए लक्ष्य का निर्धारण करेंगे एवं इसकी सूचना प्रखंड कृषि पदाधिकारी को देंगे।

1. कृषकों के चयन की प्रक्रिया :–

1.1 कृषक प्रगतिशील/इच्छुक हों।

1.2 कृषकों के चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि पूर्व के वर्षों में इस योजना अन्तर्गत लाभान्वितों का चयन वर्त्तमान वर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

1.3 स्वीकृत राशि से जिला की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की आबादी के प्रतिशत के अनुसार उनके कल्याणार्थ राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 1 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1.4 जिलों के लिए स्वीकृत राशि से यह भी प्रयास किया जाय कि लाभुकों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।

1.5 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया पंचायत समिति सदस्य/प्रखंड प्रमुख आंदि) से अनुशंसा प्राप्त हो।

1.6 कृषि समन्वयक /प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अनुशंसा हो।

1.7 "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर कृषक का चयन किया जायेगा।

1.8 कृषक पाठशाला के कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

1.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति/अल्प संख्यक श्रेणी वाले किसानों द्वारा धातु कोठी से संबंधित आवेदन पत्र पर जाति के संबंध में स्वघोषित जाति का प्रमाण अंकित करना अनिवार्य होगा।

1.10 एक वित्तीय वर्ष में एक किसान को किसी भी क्षमता का केवल एक धातु कोठी से अधिक पर अनुदान देय नहीं होगा।

2. आवेदन की प्रक्रिया :–

घातु कोठिला पर अनुदान के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/ जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। किसानों से किसान मेला एवं विशेष कैम्प यथा किसान विकास शिविर आदि में भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा आवेदक किसान को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। संबंधित कर्मी के द्वारा एक सत्यापित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। जिला कृषि कार्यालय में एक समेकित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा।

3. आवेदन की जाँच :–

आवेदन की जाँच प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 (सात) दिनों में निश्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच किसान के निवास के ग्राम में जाकर स्थल पर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उन्हें सचमुच धातु कोठिला की आवश्यकता है या नहीं।

4. आवेदन की स्वीकृति :–

ऐसे सभी आवेदनों जो जाँच में अनुदान के लिये उपयुक्त पाये जाते हैं, उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। इस स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

5. अनुदानित दर पर धातु कोठिला का क्रय :–

5.1 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि संबंधी आयोजित मेले में धातु कोठिला की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

5.2 योजना के लिए पात्र किसान स्वीकृति पत्र के आलोक में कृषि संबंधी आयोजित मेले में किसान अपनी पसंद से किसी भी प्रतिष्ठान से धातु कोठिला क्रय करेंगे। अनुदानित दर पर धातु कोठिला का क्रय–विक्रय किसान मेला में ही किया जायेगा। किसान मेला में भागीदारी के लिये सभी कंपनियों/डीलरों (विक्रेताओं) को आमंत्रित किया जायेगा। चूँकि अनुदानित दर पर धातु कोठिला की बिक्री के लिये किसान मेला की अनिवार्यता की गयी है, अतः यह सम्यक होगा कि ऐसे सभी आवेदन जो माह भर में प्राप्त हुए हों, उनका जाँच अगले माह के किसान मेला के आयोजन से पूर्व कर लिया जाय तथा प्रत्येक किसान जो अनुदान की पात्रता रखते हैं उन्हें स्वीकृति पत्र निर्गत कर दिया जाय। जो आवेदन मेला में प्राप्त हों उनकी जाँच अगले मेला से पूर्व कर लिया जाय तथा अगले मेला में धातु कोठिला उपलब्ध कराया जाय। मेला में क्रय किये गये धातु कोठिला के सत्यापन के लिये मेला में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा समतुल्य पदाधिकारियों को

प्रतिनियुक्त किया जायेगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी धातु कोठिला के बिक्री संबंधी कैशमेमो पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

विक्रेता एजेंसी/किसान इसी कैशमेमो के आधार पर अनुदान का दावा जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। कैशमेमो में धातु कोठिला का मेक/मॉडल का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

6. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :–

किसानों के द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर धातु कोठिला का क्रय करने पर किसान को सीधे बैंक खाते में अथवा ड्राफ्ट/चेक द्वारा अनुदान का भुगतान किया जाय।

7. अनुदानित दर पर क्रय किये गये धातु कोठिला का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन

7.1 अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक धातु कोठी पर बिहार सरकार द्वारा अनुदानित का मुहर अवश्य रूप से लगाया जाय। मुहर में धातु कोठी का गेज तथा विक्रेता का नाम एवं पूर्ण पता निश्चित रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

7.2 अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक धातु कोठिला का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन किसान के घर जाकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त समतुल्य पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैशमेमो पर उल्लेखित धातु कोठिला के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। परन्तु इस प्रकार की सत्यापन प्रक्रिया के कारण अनुदान का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा। अनुदान का भुगतान मेला में ही किया जायेगा तथा किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन एक माह के अंदर पूरा किया जायेगा।

8. धातु कोठिला पर अनुदान हेतु आवेदन/जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र :–

धातु कोठिला पर अनुदान हेतु आवेदन/जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र अनुसूची–2 में दिया गया है।

9. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया धातु कोठिला उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

10. लेखा संधारण

अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये धातु कोठिला का अलग से लेखा संधारण किया जाय। किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र में योजना का नाम निश्चित रूप से उल्लेख किया जाय।